समाहरणालय,मधेपुरा।
(सामान्य शाखा)
पत्रांक- /

प्रेषक,

प्रभारी पदाधिकारी,
सामान्य शाखा,मधेपुरा।

सेवा में,

सभी कार्यालय प्रधान,
मधेपुरा जिला।

मधेपुरा,दिनांक- नवम्बर,2016

विषय- दिनांक- 26 नवम्बर, 2016 को ''संविधान दिवस'' मनाये जाने के संबंध में।
प्रसंग- प्रकाशित भारत का राजपत्र संख्या- 309 दिनांक- 19/11/2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) के संदर्भ में सचित करना है कि नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों को बढावा देने के लिए भारत सरकार ने प्रति वर्ष 26 नवम्बर को ''संविधान दिवस'' के रूप में मनाने का निर्णय प्रकाशित भारत का राजपत्र संख्या- 309 दिनांक- 19/11/2015 में निर्णय लिया गया है।

अतएव निदेशानुसार, अनुरोध है कि दिनांक- 26 नवम्बर, 2016 को को जिला मुख्यालयों/ अनुमंडलों एवं प्रखंडों मे ''संविधान दिवस'' समारोह आयोजित करने का व्यवस्था की जाय।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/-
प्रभारी पदाधिकारी,
सामान्य शाखा,मधेपुरा।

ज्ञापांक-1862/सा0,मधेपुरा दिनांक- 25 नवम्बर,2016

प्रतिलिपि- सभी प्रभारी पदाधिकारी, समाहरणालय, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि दिनांक- 26/11/2016 को समाहरणालय सभा भवन में 11:00 बजे पूर्वाह्न को संविधान दिवस मनाये जाने हेतु ससमय एवं कर्मी के साथ उपस्थित रहेगें।

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा/ जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा एवं कार्यालय अधीक्षक, समाहरणालय, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी सम्बंधितों को ईमेल करने हेतु प्रेषित।

25.11.16
प्रभारी पदाधिकारी,
सामान्य शाखा,मधेपुरा।
25/11

74121

समाहरणालय: मधेपुरा।
(सामान्य शाखा)
संचिका संख्या 8-54/15
प्राप्त संख्या 1585
दिनांक 25/11/15

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 309] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 19, 2015/कार्तिक 28, 1937
No. 309] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 19, 2015/KARTIKA 28, 1937

वरीय प्रभारी पदाधिकारी
शाखा... सामान्य

समाहरणालय
24 NOV 2015

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2015

फा. सं.19022/11/2015-VI (E) : जबकि भारत के लोगों ने, भारत के समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर 26 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा में इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया;

और जबकि, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूपण समिति ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने में अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान कीं तथा राष्ट्र आधुनिक भारत के निर्माण में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के योगदान का सम्मान करते हुए उनकी 125वीं वर्षगांठ मना रहा है;

अतः अब नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने प्रति वर्ष 26 नवम्बर को "संविधान दिवस" के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है।

978
25/11/15

बी. एल. मीना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2015

F. No. 19022/11/2015-VI (E).— Whereas the people of India, having solemnly resolved to secure to all its citizens Justice, Liberty, Equality and to promote Fraternity among all, adopted, enacted and gave to themselves the Constitution of India in the Constituent Assembly on the 26th day of November, 1949 ;

And whereas the Drafting Committee of the Constituent Assembly, under the Chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar, provided its invaluable services in drafting the Constitution of India and the nation is celebrating the One Hundred and Twenty-fifth Birth Anniversary of Dr. B.R. Ambedkar in recognition of his contribution to building modern India;

Now, therefore, the Government of India has decided to celebrate the 26th day of the November of every year as the **"CONSTITUTION DAY"** to promote constitutional values among citizens.

B.L. MEENA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक [1][संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और [2][राष्ट्र की एकता
और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता
बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई0 (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ।

---

[1] संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3-1-1977 से) "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3-1-1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।